

29.06.2026

आवेदक स्वाती सहित श्री अमित चौरे अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण भुगतान आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है।

जिला अभिलेखागार से क्लेम प्रकरण क्रमांक 77/2011 (दुर्गा बाई विरूद्ध मोहम्मद सलीम व अन्य) का अभिलेख प्राप्त। संलग्न प्रकरण किया गया।

आवेदक ने दिनांक 16.06.2026 को इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया था कि आवेदक की ओर से उसके पिता की दुर्घटना में हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया था, जिसे अधिकरण द्वारा स्वीकार कर अधिनिर्णय पारित किया गया है। अधिनिर्णय के समय आवेदक स्वाती अवयस्क थी। वर्तमान में आवेदक वयस्क हो चुकी है। आवेदक को उसकी आवश्यकताओं हेतु रुपयों की आवश्यकता है। आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत क्लेम दावा प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अनावेदक बीमा कंपनी को आवेदकगण के पक्ष में क्षतिपूर्ति राशि 4,59,000/— रुपये अधिकरण के समक्ष जमा करने के निर्देश देते हुए अधिनिर्णय की कंडिका-15 के अनुसार वितरण/भुगतान किये जाने का आदेश किया गया है।

अवार्ड राशि जमा होने के संबंध में रीडर प्रतिवेदन लिया गया है, जिसके अनुसार क्लेम प्रकरण क्रमांक-77/2011 (दुर्गा बाई व अन्य विरूद्ध सलीम व अन्य) अधिनिर्णय में पारित अवार्ड 14.09.2011 के पालन में अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा सिंडिकेट बैंक, शाखा नर्मदापुरम की सावधि रसीद क्रमांक 023536 द्वारा राशि 60,000/— रुपये जमा कराए गए हैं।

आवेदक स्वाती की ओर से भुगतान आवेदन पत्र के साथ उसकी वयस्ता के संबंध में आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की है एवं अधिनिर्णय दिनांक अनुसार वर्तमान में आवेदक वयस्क होना प्रतीत होती है।

अतः अधिनिर्णय अनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत भुगतान आवेदन पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवेदक स्वाती के नाम की सावधि रसीद क्रमांक-023536 राशि 60,000/— रुपये की राशि नगद बचत खाते के माध्यम से प्रदान की जावे।

आवेदक को सावधि खाते का भुगतान के संबंध में बैंक को पत्र जारी किया जावे।

तदनुसार इस आवेदन पत्र का निराकरण किया जाता है।

प्रकरण समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(दिनेश कुमार नोटिया)

सदस्य

प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधि.
नर्मदापुरम (म0प्र0)